

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल चवालियर कैम्प रीवा (मोप्र०)

(251)

(127)

(16)



₹. 30/-

R 5543 II/16

अन्नपूर्णा प्रसाद द्विवेदी तनय श्री बृजेन्द्रनाथ द्विवेदी निवासी ग्राम

कोठर तहसील अमरपाटन जिला सतना (मोप्र०)

आवेदक

स्त्री आम हाब घटवेदी १६
दारा पंथ २५-१२-१६
कोठर तहसील अमरपाटन जिला सतना (मोप्र०)
राजस्व मण्डल चवालियर
(लकड़ी भालू) चमोर तनय मंगल
क्र. संगल लकड़ी भालू

बनाम

३. बाबूलाल तनय मंगल

३. मुन्जलाल तनय मंगल सभी निवासी ग्राम कोठर तहसील

अमरपाटन जिला सतना (मोप्र०) ----- अनावेदकगण

५. नृप्प घुड्डा शास्त्र

निगरानी बिरुद्ध श्री अनुविभागीय

अधिकारी अमरपाटन बाबत् राजस्व प्रकरण

क्रमांक - ६३६/१२-१३ आदेश

दिनांक २०-१०-२०१६

अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश

भू-राजस्व संहिता सन् १९५९ ई०।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।
2. यह कि तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 20/09/2016 को आधार मानकर जो पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है वह आदेश अवैधानिक है तथा विधि एवं तथ्यों के विपरीत है।

(16)

(127)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5543-II/16 जिला सतना

अन्वयोगी प्र० १० विरुद्ध भाला अभार वहसि

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अभनान चतुर्वदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुबिभागीय अधिकारी तहसील अमरपाटा के प्रकरण क्रमांक 6/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29/10/16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29/03/19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

अवैधानिक हैं तथा वाध एवं तच्छा का